

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर


राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक: प.14(50)RSMSSB/अर्थना/पटवार/पात्रता जांच/2017/ 1935

दिनांक : 29.06.2018

संशोधित कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2015 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4 अभ्यर्थियों का बोर्ड के समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 2877 दिनांक 11.06.2018 द्वारा पात्रता की जांच में अपात्र पाये जाने पर अस्थायी चयन निरस्त किया गया था। इस आदेश में श्री पुष्पेंद्र सिंह रोल नं. 129313 का भी अस्थाई चयन निरस्त किया गया था। अब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर राजस्थान द्वारा याचिका संख्या 23126/2017 में दिनांक 15.12.2017 के दिये गये अंतरिम आदेश की पालना में श्री पुष्पेंद्र सिंह के अस्थाई चयन को निरस्त करने के आदेश को निरस्त किया जाता है। अब श्री पुष्पेंद्र सिंह का पटवारी के पद पर किया गया अंतिम चयन यथावत रहेगा। श्री पुष्पेंद्र सिंह का चयन याचिका संख्या एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 23126/2017 के अधधीन रहेगा।


(मुकुट बी. जांगिड)
सचिव